



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 10 अप्रैल, 2018

चैत्र 20, शक सम्वत् 1940

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 811/79-वि०-1-18-1(क)5-18

लखनऊ, 10 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन), विधेयक, 2018 पर दिनांक 9 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश के कतिपय विनियोग अधिनियमों का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2018 कहा संक्षिप्त नाम

जायेगा।

कतिपय अधिनियमितियों
का निरसन
व्यावृत्ति

2- नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।

3-इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,-

(क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो ;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी में किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व अधिनियम या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे ;

(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रभा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे की एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा ;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे।

(ङ) लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्यवाही की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानों उक्त अधिनियमितियाँ इस अधिनियम द्वारा निरसित न किये गये हों।

अनुसूची

(धारा-2 देखें)

निरसित किये जा रहे अधिनियम

1	उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1950	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1950
2	उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) अधिनियम, 1951	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06 सन् 1951
3	उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) अधिनियम, 1951	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08 सन् 1951
4	उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1951	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1951
5	उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) अधिनियम, 1951	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1951
6	उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) अधिनियम, 1952	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 02 सन् 1952
7	उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1952	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03 सन् 1952
8	उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1952	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1952
9	उत्तर प्रदेश विनियोग (1952-53 का प्रथम पूरक) अधिनियम, 1952	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1952

[illegible]

13 RPH Viniyog-Data 6E Vid fol

13 RPH Viniyog-Data 6E Vid fol

[illegible]

13 RPH Viniyog-Data 6E Vid fol

[illegible]

13 RPH Viniyog-Data 6E Vid fol

[illegible]

238	उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के बढ़ती व्यय का विनियमन) अधिनियम, 2009	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2009
239	उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2010	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03 सन् 2010
240	उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2010	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06 सन् 2010
241	उत्तर प्रदेश विनियोग (2010-2011 का अनुपूरक) अधिनियम, 2010	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2010
242	उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2011	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04 सन् 2011
243	उत्तर प्रदेश विनियोग (2011-2012 का अनुपूरक) अधिनियम, 2011	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2011
244	उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2011	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2011
245	उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2012	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 05 सन् 2012
246	उत्तर प्रदेश विनियोग (2012-2013 का अनुपूरक) अधिनियम, 2012	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06 सन् 2012
247	उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2013	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03 सन् 2013
248	उत्तर प्रदेश विनियोग (2013-2014 का अनुपूरक) अधिनियम, 2013	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2013
249	उत्तर प्रदेश विनियोग (2013-2014 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2013	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2013
250	उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2014	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03 सन् 2014
251	उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2014	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2014
252	उत्तर प्रदेश विनियोग (2014-2015 का अनुपूरक) अधिनियम, 2014	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2014

उद्देश्य और कारण

केन्द्रीय सरकार द्वारा सन् 1950 से 2012 की अवधि के दौरान अधिनियमित विनियोग से सम्बन्धित अधिनियमों को निरसित करने के लिए विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 22 सन् 2016) को अधिनियमित किया गया है। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश के 264 विनियोग अधिनियम को निरसित करने की सिफारिश की है। उपरोक्त सिफारिशों के प्रकाश में वित्त विभाग उत्तर प्रदेश ने अप्रचलित हो चुके 252 अधिनियमों को निरसित करने हेतु अपनी सहमति प्रदान किया है। अतः यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश के उक्त 252 विनियोग अधिनियमों को निरसित करने के लिए राज्य विधान मण्डल में एक विधेयक पुरःस्थापित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2018 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।